चित्रकूट-पुलिस

(1).
“मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित “मिशन शक्ति अभियान-5”

“मिशन शक्ति फेज-5.0: महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-
1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण,स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम,निम्न आय वर्ग बस्तियों,गांवों,वार्डों,मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों,कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।
2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता,साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी,महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।
3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण,गुड टच/बैड टच की जानकारी।
महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ
1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
1090 – वीमेन पावर लाइन
181 – वीमेन हेल्पलाइन
112 – पुलिस आपातकालीन सेवा
102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस
108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा
1098 – चाइल्ड लाइन
101 – अग्निशमन सेवा
1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।
इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि

आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

🚨 प्रेस नोट-चित्रकूट पुलिस 🚨
विशेष अभियान में चित्रकूट पुलिस ने 11 वारण्टी किए गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 11 वारण्टी अभियुक्तो को गिरफ्तार किया ।

(1). उ0नि0 श्री सुनील कुमार राय मय हमराह आरक्षी बब्बू राजा व महिला आरक्षी निधि सेंगर थाना रैपुरा द्वारा मु0नं0 560/19 मु0अ0सं0 149/2013 धारा 323,325,504,506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त 1.रानी देवी पत्नी किरननारायण 2.किरननारायण पुत्र स्व0 रामराज पाण्डेय निवासीगण रेरुवा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री करन सिंह मय हमराह आरक्षी धर्मेन्द्र कुमार व चालक आरक्षी पवन यादव थाना रैपुरा द्वारा मु0नं0 162/2019 धारा 420,467,468,471 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त कमलाकान्त पुत्र महेश प्रसाद निवासी दिवानी मोड़ बुधवल थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iii). उ0नि0 श्री परशुराम पाण्डेय मय हमराह आरक्षी शुभम मिश्रा,महिला आरक्षी आरती वर्मा थाना राजापुर द्वारा मु0नं0 287/18 मु0अ0सं0 429/17 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना राजापुर के वारण्टी अभियुक्त फूलचन्द्र पुत्र संतलाल निवासी हनुमानगंज कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट व मु0नं0 227/24 मु0अ0सं0 195/23 धारा 498ए,323,504,506,406 भादवि0 व ¾ डीपी एक्ट के वारण्टी अभियुक्ता गलवी देवी पत्नी वीरेन्द्र सोनकर निवासी मझगवां खटवारा रोड थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(iv). उ0नि0 श्री अशोक कुमार मिश्रा व उ0नि0 अरविन्द कुमार पाण्डेय मय हमराह आरक्षी नागेश कुमार गुप्ता,आरक्षी मुकद्दर सिंह थाना सरधुवा द्वारा मु0नं0 01/17 मु0अ0सं0 180/16 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट के वारण्टी अभियुक्त पप्पू उर्फ राकेश पुत्र इन्द्रनारायण निवासी बरद्वारा थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(v). उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय मय हमराह आरक्षी मनीष यादव,आरक्षी नन्दलाल थाना मऊ द्वारा मु0नं0 233/2023 मु0अ0सं0 54/18 धारा 323,506,508 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त 1.रामू पुत्र रामकुमार 2.वीफूर पुत्र हरिश्चन्द्र निवासीगण खपटिहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(vi). उ0नि0 श्री योगेन्द्र बहादुर मय हमराह मुख्य आरक्षी रतीराम,आरक्षी राहुल कुमार थाना पहाड़ी द्वारा मु0नं0 1466/23 मु0अ0सं0 196/22 धारा 354,323,504,506 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त चन्दू उर्फ चन्द्रभान पुत्र कृष्ण औतार मिश्रा निवासी ग्राम देवल थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(vii). उ0नि0 श्री बलवन्त यादव मय हमराह आरक्षी प्रवीण पाण्डेय व आरक्षी शक्ति सिंह द्वारा मु0नं0 71/19 मु0अ0सं0 708/18 धारा 354,323 भादवि0 व 3(2)5ए एससी/एसटी एक्ट के वारण्टी अभियुक्त रामसागर पुत्र रामसिय निवासी गोबरिया बुजुर्ग थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट व मु0नं0 20/18 मु0अ0सं0 581/17 धारा 60 आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त झुल्ला पुत्र नेपाल निवासी शारदा कालेज के पास थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।